

पत्राक - 701/02 व्यघ-सामान्य/23

दिनांक 29 / 11 / 2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रं0 स0	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजय कुमार	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड, पौड़ी	निर्माण खण्ड, दुगड्डा	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री सूरज सिंह	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड, दुगड्डा	निर्माण खण्ड, पौड़ी	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

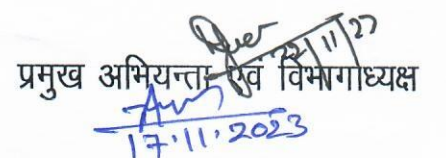


(दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, (क्षेत्रीय कार्यालय)/वि0/यां0 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/ दुगड्डा।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

17.11.2023



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwd@uk.gov.in

पत्राक - 702/02 व्यघ-सामान्य/23

दिनांक 29/11/2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गौरव त्यागी	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री मनीष भण्डारी	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर

(दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, (क्षेत्रीय कार्यालय)/वि०/या० लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 06 वॉ/08 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/टिहरी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/नरेन्द्रनगर।
- ✓ अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

22/11/23
17.11.2023

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdud@gmail.com

पत्रांक - 703/02 व्यघ-सामान्य/23

दिनांक 29/11/2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री उमेश चन्द	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	प्रान्तीय खण्ड, हरिद्वार	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री पंकज धीर सिंह	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी	प्रान्तीय खण्ड, हरिद्वार	

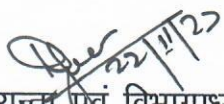
- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, (क्षेत्रीय कार्यालय)/वि०/या० लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/ 12 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/पौड़ी।
- अधिशाली अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
17.11.2023

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्राक - 704 / 02 व्यघ-सामान्य / 23

दिनांक 29 / 11 / 2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती विशाखा	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, श्रीनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धुमाकोट	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्रीमती शशि बिष्ट	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धुमाकोट	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, श्रीनगर	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर

(दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 10 वॉ राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
- अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर/धुमाकोट।
- अधिशाली अभियन्ता (आईटीओ), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

17.11.2023



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक - 705/02 व्यघ-सामान्य/23

दिनांक 29/11/2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के कम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री निर्मल सिंह	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	प्रान्तीय खण्ड, टिहरी	निर्माण खण्ड देहरादून	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री मोहन सिंह	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, टिहरी	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर-

(दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ/09 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, टिहरी/देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता (आईटीओ), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

17/11/2023



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक - 706 / 02 व्यघ-सामान्य / 23

दिनांक 29 / 11 / 2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के कम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	कु० पूजा	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	प्रान्तीय खण्ड, टिहरी	निर्माण खण्ड, लक्सर	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री सतेन्द्र पाल	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लक्सर	प्रान्तीय खण्ड, टिहरी	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ता-

(दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, (क्षेत्रीय कार्यालय), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ/सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग, टिहरी/ हरिद्वार।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय /निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/लक्सर।
- ✓ अधिशाली अभियन्ता (आईटीओ), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

17.11.2023



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक - 707/02 व्यघ-सामान्य/23

दिनांक 29 / 11 / 2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के कम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मनोज कुमार	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लक्सर	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री दीपक सैनी	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन	निर्माण खण्ड, लक्सर	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ता-
(दीपक कुमार यादव)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, (क्षेत्रीय कार्यालय), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / 12 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर/लैन्सडौन।
- ✓ अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

17.11.2023